

## भारत में कुशल सार्वजनिक वितरण प्रणाली की ओर

यह संपादकीय 07/05/2024 को द हिंदू में प्रकाशित “[Rationalizing leaky PDS](#)” पर आधारित है। इस लेख में भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में अक्षमताओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें पॉइंट-ऑफ-सेल मशीनों से सुधार के बावजूद लाभारथियों तक 28% खाद्य आवंटन विफ़िल रहा है। यह व्यापक पोषण सुरक्षा की अनदेखी करते हुए चावल और गेहूँ पर PDS के संकीर्ण फोकस को भी उजागर करता है।

### प्रलिमिस के लिये:

भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली, [राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम \(NFSA\) 2013](#), उचित मूलय की दुकानें, अतिरिक्त वितरण, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, भारतीय खाद्य नियम, न्यूनतम समर्थन मूलय, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5, एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड, घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण।

### मेन्स के लिये:

भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित प्रमुख मुद्दे, PDS प्रणाली की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिये उपाय


भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) का उद्देश्य कम आय वाले परिवारों को सहायता प्रदान करना है, लेकिन आवंटित खाद्यानन का 28% हस्सा उन तक कभी नहीं पहुँच पाता। इसका मतलब है कि प्रत्येक वर्ष खाद्यानन का भारी नुकसान होता है जिसके सुधार की तत्काल आवश्यकता है। पॉइंट-ऑफ-सेल मशीनों के साथ लीकेज 46% से घटकर 28% हो गई है, लेकिन एक महत्वपूर्ण अंतर अभी भी बना हुआ है। इसके अलावा PDS में केवल चावल और गेहूँ पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिससे पोषण सुरक्षा के व्यापक मुद्दे की अनदेखी होती है।

### सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है?

- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संदर्भ में: खाद्य की कमी को दूर करने के लिये सस्ती कीमतों पर खाद्यानन वितरित करके सार्वजनिक वितरण प्रणाली की स्थापना की गई थी।
  - समय के साथ, यह भारत की खाद्य अर्थव्यवस्था के प्रबंधन के लिये एक प्रमुख नीतिगत उपागम बन गया है, हालाँकि यह लाभारथियों की आवश्यकताओं को पूरी तरह से पूरा करने के बजाय उनकी पूरत करता है।
  - अब यह [राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम \(NFSA\) 2013](#) द्वारा शास्ति है, जो वर्ष 2011 की जनगणना के आँकड़ों के आधार पर भारत की लगभग दो-तिहाई आबादी के लिये खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
- प्रबंधन: सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रबंधन केंद्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है।
  - केंद्र सरकार, भारतीय खाद्य नियम (FCI) के माध्यम से, खाद्याननों की खरीद, भंडारण, परिवहन और राज्यों को बड़े पैमाने पर आवंटन के लिये ज़मिमेदार है, जबकि राज्य सरकारें स्थानीय वितरण, पात्र परिवारों की पहचान, राशन कार्ड जारी करने [तथाउचित मूलय की दुकानों \(FPS\)](#) के प्रयोक्षण की देखरेख करती हैं।
  - वर्तमान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गेहूँ, चावल, चीनी और केरोसिन वितरित किया जाता है तथा कुछ राज्य दालें, खाद्य तेल एवं नमक जैसी अतिरिक्त वस्तुएँ भी उपलब्ध कराते हैं।

//

# Evolution of Public Distribution System (PDS)



## भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकता क्यों है?

- खाद्य सुरक्षा और गरीबी उन्मूलन: विश्व बैंक के अनुसार, वर्ष 2024 में लगभग **129 मिलियन** भारतीय **अतिनिरिधनता** में रह रहे होंगे, जिनकी दैनिक आय 2.15 डॉलर (लगभग 181 रुपए) से भी कम होगी, जिससे उनके लिये खाद्यानन्त तक पहुँच एक गंभीर चुनौती बन जाएगी।
  - सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) कमज़ोर आबादी को रयियती दरों पर खाद्यानन्त उपलब्ध कराकर बुनियादी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है तथा आरथिक झटकों और पराकृति के दौरान एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करती है।
  - यह विशेष रूप से कोवड़ि-19 महामारी के दौरान स्पष्ट हुआ जब **प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना** के तहत **800 मिलियन** लोगों को नशुलक खाद्यानन्त उपलब्ध कराया गया।
- मूल्य स्थरीकरण और बाजार बनियमन: PDS बफर स्टॉक को बनाए रखने और आवश्यक वस्तुओं में बाजार की अस्थरिता को नियंत्रित करके एक महत्वपूर्ण मूल्य स्थरीकरण तंत्र के रूप में कार्य करता है।
  - यह प्रणाली कमी के दौरान कृत्रिम मूल्य वृद्धि को रोकने में मदद करती है तथा उपभोक्ताओं को बाजार में डेरफेर और मुद्रासंपत्ति से बचाती है।
  - वर्ष 2022-23 में, **भारतीय खाद्य निगम (FCI)** ने बाजार में आपूरतविद्वाने के लिये **34.82 लाख टन** गोहू जारी किया, जिससे बाजार मूल्यों को नियंत्रित करने में मदद मिली।
- कृषि सहायता और कृषि आय: सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) अपने खरीद तंत्र के माध्यम से कसिनों को सुनिश्चित बाजार और **समरथन मूल्य (MSP)** प्रदान करती है, जिससे कृषि आजीवकियां तथा खाद्य उत्पादन को समर्थन मिलता है।
  - कृषिविपणन वर्ष 2023-24 (अक्टूबर-सितंबर) में सरकार द्वारा **52.544 मिलियन टन** चावल की खरीद की गई।
  - इस व्यवस्थाति खरीद से बाजार की अनिश्चितताओं के दौरान कृषि आय को बनाए रखने में मदद मिली।
- पोषण सुरक्षा और स्वास्थ्य परणिमां: बुनियादी खाद्य सुरक्षा के अलावा, PDS भारत की पोषण संबंधी चुनौतियों, विशेष रूप से कमज़ोर आबादी के बीच, के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
  - कुछ राज्यों में दालों, **फोरेट्रिफ़ाइड चावल** (जैसे- तमलिनाडु) और अन्य पौष्टिक वस्तुओं को शामिल करने की प्रणाली के विकास से कुपोषण से लड़ने में मदद मिली है।
  - **राष्ट्रीय परविर स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5** के हालिया आँकड़ों से बाल पोषण संकेतकों में सुधार दर्खिता है, जिसमें शाश्वत वृद्धिरोधन (Stunting) 38.4% से घटकर 35.5% हो गया है।
- सामाजिक समानता और क्षेत्रीय संतुलन: सार्वजनिक वितरण प्रणाली भौगोलिक और सामाजिक बाधाओं के पार खाद्यानन्त उपलब्धता सुनिश्चित करके सामाजिक समानता को बढ़ावा देती है, जिससे विशेष रूप से सीमांत समुदायों तथा दूर-दराज के क्षेत्रों को लाभ मिलता है।
  - प्रणाली का लक्षण उपागम क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने में मदद करता है और अनुसूचित जाति/अनुसूचित समुदायों सहायि कमज़ोर आबादी को सहायता प्रदान करता है।
  - **एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड** के कार्यान्वयन से पोर्टेबलिटी लेन-देन संभव हुआ है, जिससे प्रवासी शरमकियों को सहायता मिली है।

## भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित प्रमुख मुद्दे क्या हैं?

- रसिव और डायवर्जन: सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित सबसे गंभीर मुद्दा अवैध डायवर्जन के माध्यम से खुले बाजार में खाद्यानन्तों का बड़े पैमाने पर लीकेज है।

- हालया **घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (HCES) 2022-23** से पता चलता है कि आवंटति अनाज का लगभग 28%, जो 19.69 मिलियन मीट्रिक टन है, इच्छित लाभारथयों तक पहुँचने में वफिल रहता है।
- 90% उचित मूल्य की दुकानों में POS उपकरणों के कार्यान्वयन के बावजूद, राज्यवार (अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड और गुजरात में सबसे अधिक डायवरज़न दर है) लीकेज दरें चिताजनक बनी हुई हैं।
- **फरजी लाभारथी और पहचान धोखाधड़ी: आधार लकिंज पर्यासों के बावजूद, प्रणाली फरजी लाभारथयों और डुप्लीकेट राशन कारडों से जूझ रही है।**
  - उदाहरण के लिये, वर्ष 2021 में एक आर.टी.आई. के अनुसार, ओडिशा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 2 लाख से अधिक फरजी लाभारथी थीं।
  - राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत शामिल किये गए लाभारथयों के आधार कारड को जोड़ने के बाद वर्ष 2013 से 2021 के दौरान 47 मिलियन से अधिक फरजी राशन कारड रद्द कर दिये गए हैं।
  - यह समस्या विशेष रूप से उच्च परावास दर वाले राज्यों में बनी हुई है, जहाँ मृतक लाभारथयों के कारड अभी भी सक्रिय हैं।
- गुणवत्ता में गरिवट और भंडारण हानि: नमिन सतरीय भंडारण अवसंरचना के कारण खाद्यानन् की गुणवत्ता में भारी गरिवट आती है और मात्रा में कमी आती है।
  - भारत में प्रत्येक वर्ष लगभग 74 मिलियन टन खाद्यानन् नष्ट हो जाता है, जो खाद्यानन् उत्पादन का 22% अथवा कुल खाद्यानन् एवं **उद्यान कृषिउत्पादन** का 10% है।
- लक्ष्य निर्धारण में तुट्ठियाँ और समावेशन-अपवरजन संबंधी मुद्दे: गैर-गरीबों का समावेशन और वास्तवकि लाभारथयों का अपवरजन, दोनों ही बहुत बड़ी चुनौतियाँ बनी हुई हैं।
  - विशेष बैंक (वर्ष 2022) के आँकड़ों से पता चलता है कि 12.9% भारतीय अतिरिक्तता में रहते हैं, जबकि PMGKAY के तहत वर्तमान कवरेज आवादी का लगभग 57% है।
    - नीति आयोग (वर्ष 2024) के अनुसार, बहुआयामी गरीबी में 9 वर्षों में 29.17% से 11.28% तक की तीव्र गरिवट आएगी।
- उचित मूल्य की दुकानों में भरष्टाचार: उचित मूल्य की दुकानों के संचालक प्रायः अवैध कामों में लपित रहते हैं, जैसे- कम वजन की तौल, अधिक कीमत वसूली और अनियमित सचालन समय।
  - TPDS (नियंत्रण) आदेश, 2015 का उल्लंघन आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत दंडनीय है, जो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उल्लंघनों के विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार देता है।
  - वर्ष 2018 और 2020 के दौरान राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा लगभग 19,410 कार्रवाई की गई, जिनमें FPS लाइसेंसों के विरुद्ध नलिकन, निरस्तीकरण, कारण बताओ नोटिस और FIR शामिल हैं।
- बजट संबंधी बाधाएँ और आरथक बोझः खाद्य सब्सिडी बिल में वृद्धि से सरकारी वित्त पर दबाव बढ़ रहा है, जबकि कार्यक्रम बनी हुई है।
  - सत्र 2024-25 के दौरान केंद्र सरकार ने खाद्य सब्सिडी के लिये 2,05,250 करोड़ रुपए आवंटति किये हैं। सत्र 2023-24 में, अनंतमि वास्तवकि आँकड़े बताते हैं कि खाद्य सब्सिडी खर्च बजट अनुमान से 7% अधिक था।
- पोषण अपर्याप्तता: वर्तमान सार्वजनिक वितरण प्रणाली अनाज पर केंद्रता है, जो समग्र पोषण आवश्यकताओं को पूरा करने में वफिल रहती है।
  - भारत **कुपोषण** के तिरों बोझः अलपोषण, मोटापा और सूक्ष्म पोषक तत्त्वों की कमी का सामना कर रहा है।
    - खाद्य एवं कृषि संगठन की वर्ष 2019-2021 की रपोर्ट के अनुसार, देश में 224.3 मिलियन लोग कुपोषति हैं।
    - इसके अतिरिक्त, **संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष** की रपोर्ट में बताया गया है कि 80% से अधिक भारतीय कशिंग 'अंतरनहित भूख' का अनुभव करते हैं।
  - **घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (HCES) 2022-23** के आँकड़ों से पता चलता है कि सित्र 2011-12 की तुलना में सत्र 2022-23 में दालों और सब्जियों पर खर्च में गरिवट आई है।

## सार्वजनिक वितरण प्रणाली की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिये क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं?

- एंड-टू-एंड डिजिटलीकरण और रयिल टाइम मॉनिटरिंग: ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी और IoT सेंसर का उपयोग करके खरीद से वितरण तक व्यापक डिजिटल ट्रैकिंग को लागू करने की आवश्यकता है।
  - FCI गोदामों, परविहन वाहनों और FPS को जोड़ने वाले एकीकृत प्लेटफॉर्म के माध्यम से रयिल टाइम स्टॉक अपडेट को अनिवार्य किया जाना चाहयि।
  - अनियमिताओं का पता लगाने और चोरी को रोकने के लिये प्रमुख भंडारण एवं वितरण बटिओं पर AI-संचालित विश्लेषण तैनात किया जाना चाहयि।
- समार्ट FPS रूपांतरण: उचित मूल्य की दुकानों को वितरण इकाइयों, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और इलेक्ट्रॉनिक वजन तराजू के साथ डिजिटल-फरस्ट 'समार्ट दुकानों' में परविरत्ति करने की आवश्यकता है।
  - UPI सहित डिजिटल भुगतान प्रणालयों को एकीकृत करना और FPS सत्र पर ई-केवाइसी अपडेट सक्षम किया जाना चाहयि।
  - प्रत्येक अनाज लॉट के लिये कथुआर कोड-आधारित गुणवत्ता प्रमाणन प्रणाली लागू किया जाना चाहयि। नियमित अपडेट के साथ एक सार्वजनिक गुणवत्ता निगरानी डेशबोर्ड बनाए जाने चाहयि।
- पोर्टेबल लाभ और प्रवासन सहायता: बेहतर अंतर-राज्यीय समन्वय और मानकीकृत प्रोटोकॉल के माध्यम से 'एक राष्ट्र, एक राशन कारड (ONORC)' कार्यान्वयन को गतिशील की आवश्यकता है।
  - रयिल टाइम प्रवासन ट्रैकिंग और स्वचालित लाभ अंतरण के साथ एक केंद्रीकृत लाभारथी डेटाबेस बनाया जाना चाहयि।
  - मौसमी प्रवासियों के लिये गंतव्य राज्यों में अस्थायी राशन कारड पंजीकरण सक्षम किया जाना चाहयि।
- भंडारण अवसंरचना का आधुनिकीकरण: परंपराकि भंडारण को तापमान और आरदरता नियंत्रण प्रणालयों के साथ आधुनिक साइलो में उन्नत करने की आवश्यकता है।
  - IoT सेंसर और AI एनालिटिक्स का प्रयोग करके स्वचालित अनाज गुणवत्ता निगरानी प्रणाली स्थापित किया जाना चाहयि।

- छोटे, तकनीक-सकृष्टि स्थानीय भंडारण इकाइयों के साथ 'हब-एंड-स्पोक भंडारण मॉडल' विकसित किया जाना चाहयि।
- आधुनिक भंडारण अवसरचना विकास के लिये PPP अवसर सृजित किया जाना चाहयि।
- पोषण सुरक्षा एकीकरण: चुनविं FPS को पोषण केंद्रों में परविरति करने की आवश्यकता है, जहाँ विधि खाद्य वस्तुएँ (दालें, तेल, फोरेटफिल्ड उत्पाद) उपलब्ध कराई जाएँ।
  - कमज़ोर समूहों (ग्रभवती महलियों, बच्चों) के लिये ई-नुपी नयूट्रीशन वाउचर लागू किया जाना चाहयि।
  - पोषक तत्त्वों से भरपूर कदन्न को सार्वजनिक वितरण प्रणाली में शामिल करने से भारत में कुपोषण, मोटापे और सूक्ष्म पोषक तत्त्वों की कमी से निपटने में मदद मिल सकती है।
    - करनाटक और ओडिशा जैसे राज्यों ने कदन्न को सफलतापूर्वक शामिल किया है, ओडिशा का कदन्न मशिन (OMM) PDS के माध्यम से कदन्न की खपत को पुनर्जीवित करने के लिये एक मॉडल प्रदान करता है।
- संकट प्रतिक्रिया संवरदधन: पूरवनिधारति स्टॉक के साथ स्वचालित आपदा प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल विकसित किया जाने की आवश्यकता है।
  - मोबाइल PDS इकाइयों का प्रयोग करके आपातकालीन वितरण नेटवर्क बनाया जाना चाहयि। महामारी जैसी स्थितियों के लिये वशीष प्रोटोकॉल लागू किया जाना चाहयि। सरलीकृत प्रक्रियाओं का उपयोग करके आपात स्थिति के दौरान लाभार्थियों का त्वरति सत्यापन सक्षम किया जाना चाहयि।

## निष्कर्ष:

भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) कई सतत विकास लक्ष्यों (SDGs)—गरीबी उन्मूलन (SDG 1), भूखमरी उन्मूलन (SDG 2), अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण (SDG 3), एवं जमिनेदार उपभोग और उत्पादन (SDG 12) को प्राप्त करने के लिये एक महत्वपूर्ण उपकरण है। लीकेज, अकुशलता और पोषण अपर्याप्तता के मुद्दों को हल करके तथा डिजिटलीकरण, बेहतर बुनियादी अवसंरचना एवं पोषण विधिता पर ध्यान केंद्रित करने जैसे सुधारों को लागू करके, भारत एक अधिक कुशल व प्रभावी PDS सुनिश्चित कर सकता है।

**?????????????????????????**:

प्रश्न. "तकनीकी हस्तक्षेपों के बावजूद, भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) कुशलता सुनिश्चित करने और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने में चुनौतियों का सामना कर रही है।" इसे और अधिक कुशल बनाने के लिये व्यापक सुधारों पर चर्चा करते हुए सुझाव दीजिये।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

**?????????????????????????**:

प्रश्न 1. जलवायु-अनुकूल कृषि(क्लाइमेट-स्मार्ट एग्रीकल्चर) के लिये भारत की तैयारी के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये- (2021)

1. भारत में 'जलवायु-स्मार्ट ग्राम (क्लाइमेट-स्मार्ट विलेज)' वृष्टिक्रिया, अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान कार्यक्रम-जलवायु प्रविरतन, कृषि एवं खाद्य सुरक्षा (सी.सी.ए.एफ.एस.) द्वारा संचालित परियोजना का एक भाग है।
2. सी.सी.ए.एफ.एस. परियोजना, अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान हेतु परामर्शदात्री समूह (सी.जी.आई.ए.आर.) के अधीन संचालित किया जाता है, जिसका मुख्यालय पर्सिस में है।
3. भारत में स्थिति अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान (आई.सी.आर.आई.एस.ए.टी.), सी.जी.आई.ए.आर. के अनुसंधान केंद्रों में से एक है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

प्रश्न 2. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अधीन बनाए गए उपबंधों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2018)

1. केवल वे ही परविर योग्यता प्राप्त खाद्यानन्न लेने की पात्रता रखते हैं जो 'गरीबी रेखा से नीचे' (बी.पी.एल) श्रेणी में आते हैं।
2. परविर में 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की सबसे अधिक उम्र वाली महलियाँ राशन कार्ड निर्गत किये जाने के प्रयोजन से परविर का मुख्य होगी।
3. ग्रभवती महलियाँ एवं दुग्ध पलियाँ वाली माताएँ ग्रभवती स्थान के दौरान और उसके छ: महीने बाद तक प्रतिदिन 1600 कैलोरी वाला राशन घर ले जाने की हकदार हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) 1 और 2
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 3
- (d) केवल 3

उत्तर: (b)

---

**[?/?/?/?/?]:**

प्रश्न 1. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डी.बी.टी.) के द्वारा कीमत सहायकी का प्रत्यक्षिथापन भारत में सहायकियों के प्रदृश्य का कसि प्रकार परविरतन कर सकता है? चर्चा कीजिए। (2015)

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/towards-an-efficient-pds-in-india>

